छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले के उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन न होने पर कार्यवाही

1. (*क्र. 1609) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2008-2009 एवं 2009-2010 में 31 जनवरी, 2010 तक रायगढ़ जिले के किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया ? मापदण्ड के पालन में चूक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) रायगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) दिनांक 01-04-2008 से 31-01-2010 तक की अवधि में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मापदण्डों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का पक्कीकरण, कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन/अपवहन, वृक्षारोपण आदि हेतु कार्यवाही की जाती है. साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा धूल कणों के नियंत्रण हेतु रायगढ़ क्षेत्र के उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत् संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानकों के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि हेतु निर्देश दिये जाकर कार्यवाही करवाई जा रही है.

पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण का गठन तथा लंबित आवेदनों की स्थिति

2. (*क्र. 1261) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में "पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण" का गठन किया गया है ? यदि हां तो कब गठन किया गया है तथा उनमें कौन-कौन सदस्य है ? (ख) उक्त प्राधिकरण में गठन के बाद से पर्यावरण अभिस्वीकृति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उसमें से कितने को स्वीकृति दी गई तथा कितने लंबित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29-01-2008 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.) छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है. इसके वर्तमान सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है. (ख) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में गठन के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल 210 आवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार प्राप्त हुए हैं. 43 परियोजनाओं/क्रियाकलापों को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तथा 116 प्रकरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "चार" अनुसार विचाराधीन है.

रायपुर शहर में अनुपम नगर में एल.आई. एवं एन. ब्लॉक के मध्य स्थित भूमि के संबंध में

3. (*क्र. 1765) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर शहर के अनुपम नगर में एल.आई. एवं एन. ब्लॉक के मध्य में स्थित भूखण्ड खसरा नंबर 94/1, 94/2 एवं 94/3 की कितनी-कितनी भूमि किस उपयोग के लिये आरक्षित है ? (ख) प्रश्नांक "क" का कितना भूखण्ड गार्डन (बगीचे) के लिये आरक्षित है ? (ग) प्रश्नांक "क" का कितना भूखण्ड शिक्षण कार्य के लिये आरक्षित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

---

† परिशिष्ट "एक"

प्रदेश में धान संग्रहण हेतु बारदानों की खरीदी

4. (*क्र. 997) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ. ग. राज्य द्वारा धान संग्रहण हेतु बारदाना खरीदी का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो 2008-09 एवं 2009-10 में दिनांक 20-1-2010 तक कुल कितनी-कितनी राशि के, कितने-कितने बारदानें की खरीदी की गई ? (ख) प्रत्येक बारदानें का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए ? उक्त खरीदी में खरीफ वर्ष 2009-10 में कितनी मात्रा में अमानक स्तर के बारदानें पाये गये ? (ग) रायपुर जिले में दिसम्बर 2009 एवं 20 जनवरी, 2010 तक किस-किस तारीख को किन-किन धान संग्रहण केन्द्रों में बारदानों के अभाव में धान खरीदी नहीं हो पाई ? विकासखंडवार संग्रहण केन्द्रों के नाम सहित बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बारदाना खरीदी का निर्णय लिया गया था. खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में विपणन संघ द्वारा 180650 गठान बारदानें हेतु डी.जी.एस. एंड डी. कोलकाता को 216.78 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है जिसमें से 168227 गठान बारदानें प्राप्त हुए. इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 में 182130 गठान बारदानें हेतु डी.जी.एस. एंड डी. कोलकाता के 272.51 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया जिसमें से दिनांक 20-01-2010 तक 171392 गठान बारदानें प्राप्त हुए. (ख) प्रत्येक बारदानें का औसत न्यूनतम वजन 665 ग्राम होना चाहिए. उक्त खरीदी में खरीफ वर्ष 2009-10 में 686 गठान बारदानें अमानक स्तर के पाए गये. (ग) संग्रहण केन्द्रों में धान उपार्जन का कार्य नहीं किया जाता है. प्रश्नांकित अवधि के दौरान रायपुर जिले में संचालित 275 धान उपार्जन केन्द्रों में से 49 केन्द्रों में बारदानों की व्यवस्था में लगने वाले समय के कारण कुछ दिनों धान खरीदी प्रभावित हुई. किंतु इन केन्द्रों में बारदानों की आपूर्ति सामान्य होते ही कृषकों द्वारा लाये गये धान की खरीदी कर ली गई.

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

5. (*क्र. 1753) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें. (ख) क्या खरीदी में सूखाग्रस्त (अकालग्रस्त) क्षेत्र भी शामिल है ? यदि हां तो कौन-कौन से क्षेत्र ? (ग) प्रश्नांश के "ख" क्षेत्रों से कितनी-कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2008-09 में 37.47 लाख मे. टन धान तथा वर्ष 2009-10 में 44.23 लाख मे. टन धान की खरीदी की गई. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जी हां. जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. (ग) जानकारी प्रपत्र "स", "द" पर † संलग्न है.

नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया तथा मापदण्ड

6. (*क्र. 1550) **श्री सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने धान खरीदी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? किन-किन केन्द्रों में किन-किन गांवों के किसानों का धान खरीदा जाता है ? (ख) नये धान खरीदी केन्द्र खोलने की क्या प्रक्रिया एवं मापदण्ड है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) नये धान खरीदी केन्द्र खोलने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्ताव भेजा जाता है तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के अनुमोदन उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा नया केन्द्र खुलवाया जाता है.

नगर पालिका निगम, जगदलपुर को नगर विकास हेतु स्वीकृत राशि

7. (*क्र. 1514) **श्री संतोष बाफना :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जगदलपुर नगर पालिका निगम को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के माह 25 फरवरी, 10 तक नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

---

† परिशिष्ट "दो"		†† परिशिष्ट "तीन"		‡ परिशिष्ट "चार"

आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त संचालित उद्योग

8. (*क्र. 1668) **श्री रूद्र कुमार गुरु :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोद्योग से सहायता प्राप्त कितने उद्योग संचालित हैं ? (ख) ग्रामोद्योग में अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं एवं इनका निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) ग्रामोद्योग से सहायता प्राप्त 204 उद्योग संचालित हैं. (ख) 164 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं, समय बताना संभव नहीं है.

धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक तराजू की उपलब्धता

9. (*क्र. 1740) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में सहकारी समितियों के माध्यम से कुल कितने धान की खरीदी की गई ? जिलेवार धान खरीदी केन्द्रों की संख्या बतावें. (ख) उक्त केन्द्रों में से कितने केन्द्रों में कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक तराजू उपलब्ध है तथा कितने केन्द्रों में तराजू से धान तौला गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2009-10 में सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 44.23 लाख मे. टन धान की खरीदी की गई. जिलेवार धान खरीदी केन्द्रों की संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) उक्त 1578 धान खरीदी केन्द्रों में से सभी केन्द्रों में कम्प्यूटर एवं 08 धान खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक तराजू उपलब्ध है. सभी 1578 धान खरीदी केन्द्रों में तराजू से धान तौला गया है.

जिला रायपुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा आवंटित खाद्यान्न

10. (*क्र. 1758) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 एवं वर्ष 2009-10 (जनवरी 2010 तक) में जिला रायपुर के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन के अन्तर्गत कुल कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है ? (ख) क्या उपरोक्त अवधि में दुकानों को उन्हें आवंटित कोटे के आधार पर शत-प्रतिशत खाद्यान्न आवंटित किया गया है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 (जनवरी 2010 तक) में रायपुर जिले के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखंड	संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	
		वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1.	कसडोल	75	75
2.	पलारी	64	64
3.	आर.आई. सर्किल लवन	02	02

(ख) प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकानों द्वारा प्रत्येक माह घोषणापत्र में उल्लेखित खाद्यान्न के बचत स्टॉक की मात्रा को घटाकर आगामी माह में पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदाय किया गया है.

औद्योगिक इकाईयों के इनवायरमेंट क्लीयरेंस

11. (*क्र. 1759) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर तथा लगे हुए एवं कोरबा तथा लगे हुए औद्योगिक क्षेत्रों/कलस्टर के कहां-कहां के किन-किन स्थापित/विस्तारित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को 1 फरवरी, 2010 की स्थिति में इनवायरमेंटल क्लीयरेंस प्रदान किया गया है अथवा विचाराधीन हैं ? प्रकरणों की अलग-अलग अद्यतन स्थिति

† परिशिष्ट "पांच"

क्या है ? (ख) वर्ष 2010 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से औद्योगिक इकाईयों के संबंध में इनवायरमेंट क्लीयरेंस से संबंधित जारी दिशा निर्देश के आधार पर औद्योगिक इकाईवार अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्रों के नई औद्योगिक इकाईयों तथा विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 14 सितम्बर, 2006 से 01 फरवरी, 2010 तक जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन संवर्ग "क" (केटेगरी "ए") के अंतर्गत आने वाले नई औद्योगिक इकाईयों तथा विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार परियोजनाओं की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध नहीं है. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन संवर्ग "ख" (केटेगरी "बी") के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ख) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13-01-2010 को जारी दिशा-निर्देश अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के संवर्ग "क" (केटेगरी "ए") के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्रों के विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को नहीं है. दिशा-निर्देश के पालनार्थ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा संवर्ग "ख" (केटेगरी "बी") के प्रश्नाधीन क्षेत्रों के किसी भी विचाराधीन प्रकरणों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है तथा भविष्य में दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

भाटापारा एवं सिमगा विकासखण्ड में अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी के पंजीबद्ध प्रकरण

12. (*क्र. 1703) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के भाटापारा एवं सिमगा विकासखंड अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कहां-कहां कितनी मात्रा में दलहन, शक्कर, मिट्टी तेल के अवैध भण्डारण एवं काला बाजारी के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उक्त अवधि में किन-किन राशन दुकानों के संचालकों के विरुद्ध चावल, मिट्टी तेल, शक्कर की हेराफेरी करने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

जिला रायपुर एवं दुर्ग में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उद्योगों को जारी नोटिस

13. (*क्र. 1262) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-2009 में पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत रायपुर एवं दुर्ग जिले के किन-किन उद्योगों को कब-कब नोटिस दिया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : दिनांक 01-04-2008 से 31-03-2009 की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहद् रायपुर एवं दुर्ग जिले में किसी उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु नोटिस नहीं दिया गया है. अतः जानकारी निरंक है.

फर्जी चालान के माध्यम से भुगतान के संबंधी

14. (*क्र. 1754) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के कार्यालयों में फर्जी चालानों के माध्यम से भुगतान के कितने मामले प्राप्त हुए ? (ख) फर्जी चालानों में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गए ? (ग) कण्डिका "क" के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग ने क्या कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में फर्जी चालानों के माध्यम से भुगतान के कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं ? (ख) जानकारी निरंक है. (ग) परिवहन कार्यालयों में फर्जी चालानों की रोकथाम हेतु समय-समय पर कार्यालय द्वारा आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट पर ‡ संलग्न है.

† परिशिष्ट "छः" †† परिशिष्ट "सात" ‡ परिशिष्ट "आठ"

जिला रायगढ़ में बारिश से भीगे धान की मात्रा

15. (*क्र. 1741) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अक्टूबर, 2009 से 20 फरवरी, 2010 तक रायगढ़ जिले में वर्षा के कारण सहकारी समितियों में खरीदे गये धान में से कितनी मात्रा में धान भीगने की जानकारी है ? केन्द्रवार भीगे धान की मात्रा बतावें. (ख) क्या सहकारी समितियों को खरीदे गये धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में तालपत्री एवं सुरक्षा कैप की व्यवस्था की गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) अक्टूबर, 2009 से 20 फरवरी 2010 तक रायगढ़ जिले में वर्षा के कारण सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गये धान में से 1240 क्विंटल धान भीग गया था. उपार्जन केन्द्रवार भीगे धान की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्षा से प्रभावित धान की मात्रा (क्विंटल में)
1.	खरसिया	618
2.	हालाहुली	180
3.	मूरा	30
4.	चपले	220
5.	धरमजयगढ़	192
	कुल योग	**1240**

(ख) जी हां.

बाल्को कोरबा के निर्माणाधीन चिमनी के नक्शे की स्वीकृति

16. (*क्र. 1464) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालको कोरबा की निर्माणाधीन चिमनी के निर्माण हेतु नक्शा (मानचित्र) अनुज्ञा हेतु आवेदन किन-किन दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय कोरबा में कब प्राप्त हुआ ? (ख) चिमनी निर्माण हेतु अनुमति, नगर निगम कोरबा द्वारा किन-किन शर्तों के अधीन कब, प्रदान की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बालको कोरबा की निर्माणाधीन चिमनी के निर्माण हेतु नक्शा (मानचित्र) अनुज्ञा हेतु आवेदन दस्तावेजों के साथ दिनांक 12-08-2008 एवं दिनांक 04-09-2008 को प्राप्त हुआ. संलग्न दस्तावेजों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) नगर निगम कोरबा द्वारा चिमनी निर्माण हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई है.

----

† परिशिष्ट "नौ"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1609) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 01-04-2008 से 31-01-2010 तक की अवधि में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मापदण्डों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र. (1)	उद्योग का नाम एवं पता (2)	की गई कार्यवाही का विवरण (3)
1.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, रायगढ़.	दिनांक 08-07-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
2.	मेसर्स शिवशक्ति स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, चक्रधरपुर, रायगढ़.	दिनांक 08-04-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया. दिनांक 30-09-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया. दिनांक 21-10-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किया गया.
3.	मेसर्स मां काली एलायज प्राईवेट लिमिटेड, पाली, रायगढ़.	दिनांक 25-07-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
4.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, सराईपाली, रायगढ़.	दिनांक 25-07-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
5.	मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, बड़ेगुमड़ा, रायगढ़.	दिनांक 15-06-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया. उद्योग को नोटिस दिनांक 23-07-09 के संदर्भ में उद्योग द्वारा किल्न क्र. 2 से उत्पादन बंद किया गया.
6.	मेसर्स श्री अंबिका इस्पात इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, तराईमाल, रायगढ़.	दिनांक 08-07-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया. दिनांक 09-10-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
7.	मेसर्स सेलेनो स्टील्स लिमिटेड, तराईमाल, रायगढ़.	दिनांक 09-01-10 को निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश के तारतम्य में उद्योग द्वारा उत्पादन बंद किया गया.

(1)	(2)	(3)
8.	मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, रायगढ़.	दिनांक 31-07-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
9.	मेसर्स इंड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, रायगढ़.	दिनांक 16-04-08 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किया गया.
10.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, रायगढ़.	दिनांक 12-12-08 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
11.	मेसर्स माँ मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, रायगढ़.	दिनांक 30-09-09 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया.
12.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, नहरपाली, रायगढ़	दिनांक 17-10-08 एवं 17-11-08 को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस तथा दिनांक 12-12-08 को उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किया गया.
13.	मेसर्स जय माँ बंजारी ग्रामोद्योग, ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-09 तथा पत्र दिनांक 30-04-2009 के द्वारा उत्पादन बंद करने (विद्युत विच्छेद) हेतु निर्देश जारी किया गया.
14.	मेसर्स दुर्गेश शर्मा स्टोन क्रशर (परिवर्तित नाम मेसर्स आकांक्षा क्रशर उद्योग), ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-09 तथा पत्र दिनांक 30-04-2009 के द्वारा उत्पादन बंद करने (विद्युत विच्छेद) हेतु निर्देश जारी किया गया.
15.	मेसर्स भालोटिया क्रशर उद्योग, ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-09 तथा पत्र दिनांक 30-04-2009 के द्वारा उत्पादन बंद करने (विद्युत विच्छेद) हेतु निर्देश जारी किया गया.
16.	मेसर्स कैलाश शर्मा स्टोन क्रशर (परिवर्तित नाम मेसर्स सुभाष कुमार अग्रवाल), ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-09 तथा पत्र दिनांक 30-04-2009 के द्वारा उत्पादन बंद करने (विद्युत विच्छेद) हेतु निर्देश जारी किया गया.

(1)	(2)	(3)
17.	मेसर्स आनंद स्टोन क्रशर, ग्राम-सेंदरस (गुढ़ेली), तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-09 तथा पत्र दिनांक 30-04-2009 के द्वारा उत्पादन बंद करने (विद्युत विच्छेद) हेतु निर्देश जारी किया गया.
18.	मेसर्स कृष्णा ग्रामोद्योग, ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-2009 को जारी किया गया.
19.	मेसर्स शिवशक्ति क्रशर, ग्राम- टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 19-03-2009 को जारी किया गया.
20.	मेसर्स श्याम लाईम इण्डस्ट्रीज (क्रशर यूनिट) (परिवर्तित नाम मेसर्स श्री सांई मेटल), ग्राम-सेंदरस (गुढ़ेली), तहसील-सारंगढ़ रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 20-03-2009 को जारी किया गया.
21.	मेसर्स सारंगढ़ क्रशर उद्योग, ग्राम-सेंदरस (गुढ़ेली), तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 20-03-2009 को जारी किया गया.
22.	मेसर्स राधे ग्रामोद्योग, ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 20-03-2009 को जारी किया गया.
23.	मेसर्स आर. आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-गढ़उमरिया, रायगढ़.	उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 40, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 44, 47 के तहत वाद पत्र माननीय न्यायालय रायगढ़ में दिनांक 15-06-2009 को दायर किया गया.
24.	मेसर्स ओरिक्न फेरो एलायज प्राईवेट लिमिटेड, पूंजी पथरा (जिंदल औद्योगिक पार्क), रायगढ़.	उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिनांक 02-06-2008 तथा उत्पादन बंद करने के निर्देश दिनांक 03-07-2008 को जारी किया गया.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1753) के भाग (क)), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

खरीफ वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 समर्थन मूल्य पर प्रदेश में धान खरीदी की जानकारी

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	जिले का नाम	खरीफ वर्ष 2008-09 में धान खरीदी	खरीफ वर्ष 2009-10 में धान खरीदी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कबीरधाम	80439	57197
2.	कांकेर	74312	97826
3.	कोरबा	43264	47027
4.	कोरिया	24471	19607
5.	जशपुर	22656	22777
6.	जांजगीर-चाम्पा	468372	539447
7.	दन्तेवाड़ा	17584	15881
8.	दुर्ग	574233	639933
9.	धमतरी	280901	335646
10.	बस्तर	64532	96272
11.	बिलासपुर	329383	318389
12.	महासमुंद	315902	507956
13.	राजनांदगांव	172986	182419
14.	रायगढ़	329315	364655
15.	रायपुर	786431	1056281
16.	सरगुजा	162223	121751
	योग	**3747004**	**4423064**

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 पर प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2008-09 में सूखाग्रस्त घोषित तहसील	वर्ष 2009-10 में सूखाग्रस्त घोषित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कबीरधाम	कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोडला, पंडरिया.	कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोडला, पंडरिया.
2.	कांकेर	भानुप्रतापुर, अंतागढ़, पंखांजूर दुर्गकोंदल.	अंतागढ़
3.	कोरिया	-	बैकुण्ठपुर, खड़गवां, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर
4.	दन्तेवाड़ा	-	दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोण्डा, कोंटा, सुकमा, छिंदगढ़.
5.	बीजापुर	बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर	बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर भैरमगढ़.
6.	दुर्ग	साजा, बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, बालोद, पाटन, धमधा.	नवागढ़, साजा, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, थानखम्हरिया, पाटन, धमधा, बेमेतरा, दुर्ग.
7.	बिलासपुर	मरवाही, मुंगेली	मरवाही, लोरमी, पेण्ड्रारोड, मस्तूरी, मुंगेली, पेण्ड्रा, पथरिया.
8.	महासमुंद	बसना, बागबहरा	-
9.	राजनांदगांव	राजनांदगांव, छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, डोंगरगांव, छुरिया.	राजनांदगांव, छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, डोंगरगांव, छुरिया.
10.	रायपुर	कसडोल, सिमगा	भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल बिलाईगढ़

प्रपत्र "स"

वर्ष 2008-09 पर प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मात्रा की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2008-09 में सूखाग्रस्त घोषित तहसील	उपार्जित धान की मात्रा (मे. टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कबीरधाम	कवर्धा	35447.10
		बोड़ला	10535.50
		सहसपुर लोहारा	8344.50
		पण्डरिया	26352.90
2.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	5233.02
		दुर्गकोंदल	1310.90
		अंतागढ़	1968.10
		पखांजूर	36152.10
3.	बीजापुर	बीजापुर	1975.70
		उसूर	345.90
		भोपालपट्टनम	5455.4
4.	दुर्ग	बालोद	37210.8
		बेमेतरा	49834.1
		बेरला	50191.0
		नवागढ़	36047.3
		साजा	47580.8
		पाटन	83666.5
		धमधा	47668.2
5.	बिलासपुर	मुंगेली	78808.6
		मरवाही	2993.2
6.	महासमुंद	बसना	44797.2
		बागबाहरा	44834.5
7.	राजनांदगांव	छुईखदान	23905.1
		खैरागढ़	25421.98
		डोंगरगढ़	24350.34
		राजनांदगांव	35709.78
		छुरिया	19482.86
		अंबागढ़ चौकी	6069.49
		मोहला	3402.67
		मानपुर	2387.16
		डोंगरगांव	32554.52
8.	रायपुर	सिमगा	51180.9
		कसडोल	57217.2

प्रपत्र "द"

वर्ष 2009-10 पर प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मात्रा की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	वर्ष 2009-10 में सूखाग्रस्त घोषित तहसील (3)	उपार्जित धान की मात्रा (मे. टन में) (4)
1.	कबीरधाम	कवर्धा	19770.90
		बोड़ला	5029.70
		सहसपुर लोहारा	8107.10
		पण्डरिया	24289.20
2.	कांकेर	अंतागढ़	2557.70
3.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	12874.00
		सोनहत	1390.00
		खड़गवां	2537.00
		मनेन्द्रगढ़	2001.00
		भरतपुर	805.00
4.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	376.2
		कुआकोण्डा	735.09
		कटेकल्याण	543.4
		गीदम	1591.4
		कोंटा	1617.8
		सुकमा	1579.0
		छिंदगढ़	4535.0
5.	बीजापुर	बीजापुर	1182.4
		भैरमगढ़	1827.4
		उसूर	121.1
		भोपालपट्टनम	1755.6
6.	दुर्ग	साजा	22503.1
		बेमेतरा	95026.2
		नवागढ़	36766.1
		डौण्डीलोहारा	47051.2
		पाटन	105268.4
		धमधा	47288.8
		डौण्डी	7205.6
		दुर्ग	38238.4
		थानखम्हरिया	18653.1

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	बिलासपुर	मुंगेली	33484.5
		मस्तूरी	51789.6
		मरवाही	3184.8
		लोरमी	49607.7
		पेण्ड्रारोड	5845.6
		पेण्ड्रा	1945.6
		पथरिया	35251.6
8.	राजनांदगांव	छुईखदान	21559.0
		खैरागढ़	19765.0
		डोंगरगढ़	27074.0
		राजनांदगांव	38168.0
		छुरिया	21151.0
		अंबागढ़ चौकी	9717.0
		मोहला	5024.0
		मानपुर	3360.0
		डोंगरगांव	36621.0
9.	रायपुर	भाटापारा	39579.4
		कसडोल	69245.5
		बलौदाबाजार	50328.4
		बिलाईगढ़	60741.3

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1550) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केन्द्र तथा इनसे संबंधित गांवों की जानकारी

क्र. (1)	खरीदी केन्द्र का नाम (2)	संबंधित गांव का नाम (3)
1.	पहरिया	पहरिया, करमंदा, बैगलपुर, मदनपुर, रैनपुर, नवागांव, खरमोरा, सतीगुढ़ी, गोवाबंद, बोकरामुड़ा, परसदा, परसभांठा, पाठादेई.
2.	पकरिया	पकरिया, झलमला, बनाहिल
3.	मुलमुला	मुलमुला, कोनार, नंदेली
4.	खैजा	खैजा, बेलटुकरी, बोकरेल, कोल्हिडिबरी, टिगीपुर, पुरेना, कंडरी, देवरी
5.	खिसोरा	खिसोरा, नावापारा, लेवई, बगडबरी, कुरमा, मंदईपुर, डोंगीपेन्ड्री, नवागांवा
6.	बक्सरा	बक्सरा, पंतोरा, हेडसपुर, बुडेना, अंगारघर, छीतापाली, करमा, दमखांचा, खरही, केनाभांठा, गढवा, केशवहार.
7.	कोरबी	कोरबी, डोंगरी, भिलाई, सोनबरसा, अचानकपुर, हरदीविशाल, बिगरहनी, पनोरापरा
8.	बलौदा	बलौदा, ठगाबहरा, भांवर, अमलीभांठा, बरभांठा
9.	महुदा	महुदा, जुनाडीह, सुल्तानपुर, नावापारा, शनिचरा, डोरला, चारपारा, बछौद
10.	जर्वे	जर्वे, औराईकला, खोटा, असलपुर, औराईखुर्द
11.	जावलपुर	जावलपुर, रसौटा पोंच, दहकोनी
12.	भैषतरा	भैषतरा, हरदी, बुचीहरदी, कटनई, पचरी, साजापाली, करहीडीह, सुवरमाल, बिरकोनी, नावापारा, बरपाली, बम्हनी, बरबसपुर.
13.	कोटमी	कोटमी, अमेरी
14.	अकलतरी	अकलतरी, पिपरसती, मधुवा, ओरिया, परहदा, सांकर
15.	करुमहू	करुमहू, अर्जुनी, रसेड़ा, पकरिया, लटिया, दर्रीटेंद, परसदा, कुटराभांठा
16.	किरारी	किरारी, खिसोरा, गढ़ोला, अमरताल
17.	कोटगढ़	कोटगढ़, कटघरी, कल्याणपुर, परसाहीनाला, पंडरिया, बाना, परसाहीबाना, सरईगोहना
18.	पोड़ी	पोड़ी, पचरी, सोनादुला, चंगोरी, अमलीपारा, धनपुर, सोनडीह, पीपरदा, चंदनिया
19.	तरौद	तरौद, टेमदा

(1)	(2)	(3)
20.	अमोरा	अमोरा, मुरलीडीह, नवापारा
21.	अकलतरा	अकलतरा
22.	नरियरा	नरियरा, आरसमुटा, सोनसरी
23.	कापन	कापन, महुआडीह, सोनाईडीह, खपरीडीह, खटोला, बरगंवा, महमदपुर, खोड़, देवरी
24.	तिलई	तिलई, धनवा, मुड़पार, परसदा, तागा
25.	चोरभट्ठी	चोरभट्ठी, पौना, खपरी, मुरलीडीह, जोगीडीपा

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1514) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रदत्त राशि (रूपये लाखों में)

क्र. (1)	मद (2)	वर्ष 2008-09 (3)
1.	अधोसंरचना	1504.00
2.	पार्षद निधि	66.00
3.	12वें वित्त आयोग	41.08
4.	प्राकृतिक आपदा	100.00
5.	जलकष्ट	25.00

वित्तीय वर्ष 2009-10 में 25 फरवरी 2010 तक प्रदत्त राशि (रूपये लाखों में)

क्र. (1)	मद (2)	वर्ष 2009-10 (3)
1.	अधोसंरचना	601.54
2.	पार्षद निधि	66.00
3.	12वें वित्त आयोग	50.00
4.	प्राकृतिक आपदा	50.00
5.	ज्ञानस्थली योजना	18.58
6.	सरोवर धरोहर	5.00
7.	ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण	45.82

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1740) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार धान खरीदी केन्द्रों की संख्या की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	धान खरीदी केन्द्रों की संख्या (3)
1.	रायपुर	275
2.	महासमुंद	93
3.	धमतरी	70
4.	दुर्ग	190
5.	राजनांदगांव	99
6.	कबीरधाम	71
7.	बिलासपुर	152
8.	कोरबा	33
9.	जांजगीर-चांपा	150
10.	रायगढ़	84
11.	जशपुर	18
12.	सरगुजा	79
13.	कांकेर	105
14.	कोरिया	17
15.	बस्तर	100
16.	नारायणपुर	06
17.	दंतेवाड़ा	23
18.	बीजापुर	13
	योग	**1578**

परिशिष्ट "छ: "

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1759) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायपुर एवं कोरबा के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर में नई औद्योगिक इकाईयों तथा विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 14 सितम्बर, 2006 से 01 फरवरी, 2010 तक जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी

क्र. (1)	उद्योग का नाम (2)	पता (3)
रायपुर क्षेत्र		
1.	मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-गोंदवारा, रायपुर
2.	मेसर्स आई. एम. आई. एक्रेसिव्ह प्राईवेट लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
3.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, मॉंढर, रायपुर
4.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
5.	मेसर्स अलंकार एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-बोरझरा, रायपुर
6.	मेसर्स माकति फेरस प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-सोण्डा, रायपुर
7.	मेसर्स रियल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-बोरझरा, रायपुर
8.	मेसर्स इन्डस स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-बोरझरा एवं सरोरा, रायपुर
9.	मेसर्स छोलिया इलेक्ट्रो स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-सिलतरा, रायपुर
10.	मेसर्स हीरा पॉवर एंड स्टील्स लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
11.	मेसर्स इस्पात इंडिया लिमिटेड	सिलतरा, रायपुर
12.	मेसर्स एस. के. सरावगी एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
13.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
14.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र गोगांव, रायपुर
15.	मेसर्स इण्डस स्मेल्टर्स लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
16.	मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-सोण्ड्रा, रायपुर
17.	मेसर्स रश्मि स्पंज आयरन एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ग्राम-सिलतरा, रायपुर
18.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड	ग्राम-बोरझरा, रायपुर
19.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड	ग्राम-बोरझरा, रायपुर
20.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ग्राम-रावांभाटा, रायपुर
21.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
22.	मेसर्स सैनी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
23.	मेसर्स जी. पी. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-1)	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
24.	मेसर्स जी. पी. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2)	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
25.	मेसर्स महामाया स्टील	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
26.	मेसर्स यू. पी. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-तेंदुआ, रायपुर
27.	मेसर्स श्री हनुमान री-रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-तेंदुआ, रायपुर
28.	मेसर्स सार्थक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-उरला, रायपुर
29.	मेसर्स रामा पावर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-कारा, रायपुर
30.	मेसर्स ए. पी. आई. इस्पात एंड पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
कोरबा क्षेत्र		
31.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-पताड़ी, कोरबा
32.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	ग्राम-रिस्दा, बालको नगर, कोरबा
33.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	ग्राम-रिस्दा, बालको नगर, कोरबा
34.	मेसर्स स्वास्तिक स्पॉज एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-कनबेरी, कोरबा
35.	मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माईन्स	एस. ई. सी. एल., कुसमुण्डा क्षेत्र, कोरबा

प्रपत्र "ब"

रायपुर एवं कोरबा के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई. आर. ए. ए.) छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक इकाईयों तथा विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के विस्तार परियोजनाओं के संवर्ग "ख" (केटेगरी "बी") के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरणों की जानकारी

क्र. (1)	उद्योग का नाम (2)	पता (3)	अद्यतन स्थिति (4)
रायपुर क्षेत्र			
1.	मेसर्स आर. आर. इस्पात लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
2.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
3.	मेसर्स प्राईम इस्पात लिमिटेड	ग्राम-बाना, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
4.	मेसर्स एस. के. एस. इस्पात लिमिटेड एण्ड पावर लिमिटेड.	ग्राम-सिलतरा, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
5.	मेसर्स गोयल एनर्जी एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड.	ग्राम-अटारी, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
6.	मेसर्स रिजा स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड.	ग्राम-बाना, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
7.	मेसर्स बल्देव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-1)	ग्राम-सिलतरा, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
8.	मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एंड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड.	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
9.	मेसर्स श्री गीता स्टीलकॉन प्राईवेट लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड.	ग्राम-अछोली, उरला, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
10.	मेसर्स सुपर ग्लोबल लिमिटेड	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
11.	मेसर्स अविनाश स्पंज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड.	ग्राम-सिलतरा, रायपुर	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.
कोरबा क्षेत्र			
12.	मेसर्स फॉरच्युन रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-कुचेना, कोरबा	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) छत्तीसगढ़ में विचाराधीन.

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1703) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायपुर जिले के भाटापारा एवं सिमगा विकासखण्ड अन्तर्गत दलहन, शक्कर एवं मिट्टी तेल के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी के पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी :-

क्र.	फर्म/व्यक्ति का नाम एवं पता	जप्तशुदा वस्तु का नाम	जप्तशुदा वस्तु का मात्रा (क्वि./ली. में)	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री जयराम बालानी प्रो. अंजना इन्डस्ट्रीज, भाटापारा.	राहर खड़ा राहर दाल बटरा बटरा दाल	1392.20 1289.80 84.00 155.00	जप्त सामग्री के बाजार मूल्य में से राशि 25,000/- रु. शासन के पक्ष में राजसात किया गया.
2.	रक्षा इन्डस्ट्रीज, भाटापारा	चना दाल चना मटर चना बटरी चनादाल खण्डा	473.00 220.00 5305.20 4924.85 1969.35 110.00	जप्त सामग्री के बाजार मूल्य में से राशि 100000/- रु. शासन के पक्ष में राजसात किया गया.
3.	श्री कैलाश बालानी प्रो. यश दाल मिल, मुड़िपार रोड़, भाटापारा.	उड़दा खड़ा उड़दा दाल बटरी खड़ी बटरी दाल उड़द	2779.00 935.75 112.50 285.50 1560.00	जप्त सामग्री के बाजार मूल्य में से राशि 50,000/- रु. शासन के पक्ष में राजसात किया गया.
4.	देवकी बाई, रिक्शा हॉकर	केरोसीन	200	जप्त 200 लीटर केरोसीन को शासन के पक्ष में राजसात की गयी एवं रिक्शा ठेला के बाजार मूल्य में से राशि 1000/- रु. शासन के पक्ष में राजसात किया गया.
5.	लावारिस	केरोसीन	135	जप्त 135 ली. केरोसीन को शासन के पक्ष में राजसात की गयी.

प्रपत्र "ब"

रायपुर जिले के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा में प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरूद्ध विभाग को प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी :-

क्र.	शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम	जांच में पायी गयी अनियमितता	की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शा. उ. मू. दुकान पुर्राबांधा वि. खं. भाटापारा.	विक्रेता वितरण पंजी में राशन सामग्रियों का फर्जी वितरण दर्ज किया जाना.	विक्रेता श्री नरेश टण्डन के विरूद्ध पुलिस थाना भाटापारा ग्रामीण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है.
2.	शा. उ. मू. दुकान हथनीपारा वार्ड (भाटापारा शहर)	भौतिक सत्यापन में चावल 1.39 क्वि. एवं गेहूं 1.10 क्वि. अधिक मात्रा में संग्रहित मिला.	विक्रेता श्री राजेन्द्र साहू के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी. ग्रा. से. सह. स. तरेंगा द्वारा विक्रेता का स्थानांतरण किया गया.
3.	शा. उ. मू. दुकान रामसागर वार्ड (भाटापारा शहर)	दुकान से संलग्न राशन कार्डों को आवंटित मात्रा से अधिक से मात्रा में चावल एवं गेहूं का वितरण किया जाना.	विक्रेता श्री राजेश पाटिल के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में विभागीय कार्यवाही किया जा रहा है.
4.	शा. उ. मू. दुकान बोरसी (ध) वि. खं. भाटापारा	दुकान के विक्रेता द्वारा 400 लीटर केरोसीन एवं 50 किलो चावल को ट्रक में लोड कर अवैध विक्रय किये जाने बाबत्.	कलेक्टर न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी 2010 के तहत जप्त 400 लीटर नीला केरोसीन तथा 50 किलो चावल राजसात किया गया तथा जमशुदा वाहन के बाजार मूल्य में से राशि 25000/-रु. शासन के पक्ष में राजसात किया गया. इसके अतिरिक्त सेल्समेन को सेवा से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है.
5.	शा. उ. मू. दुकान नयापारा (भाटापारा शहर)	दुकान के विक्रेता द्वारा एक व्यक्ति को 05 किलो शक्कर 80 रु. में विक्रय किया जाना.	विक्रेता इनेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में विभागीय कार्यवाही किया जा रहा है.
6.	शा. उ. मू. दुकान तरेंगा (भाटापारा शहर)	दुकान के विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को शक्कर वितरित नहीं किया जाना तथा चावल की जगह गेहूं प्रदाय किया जाना.	विक्रेता श्री सतीश कुमार वर्मा के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में विभागीय कार्यवाही किया जा रहा है. ग्रामीण सेवा सहकारी समिति तरेंगा द्वारा विक्रेता को हटा दिया गया है.
7.	शा. उ. मू. दुकान मुंशी इस्माईल वार्ड (भाटापारा शहर)	विक्रेता द्वारा एक व्यक्ति को 05 राशन कार्डों पर राशन सामग्री प्रदान किया जाना.	विक्रेता श्री योगेश पाण्डे के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में विभागीय कार्यवाही जारी है.
8.	शा. उ. मू. दुकान मुंशी नयापारा (भाटापारा शहर)	विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को शक्कर वितरित नहीं किया जाना. भौतिक सत्यापन में चावल, शक्कर एवं नमक का स्टॉक कम तथा गेहूं का स्टॉक अधिक मात्रा में पाया जाना.	विक्रेता श्री इनेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में विभागीय कार्यवाही जारी है.

परिशिष्ट ''आठ''

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1754) के भाग (ग) की जानकारी]

परिवहन कार्यालयों में किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्जी चालान प्रस्तुत न कर सकें, इस हेतु समय-समय पर कार्यालय द्वारा निम्न आदेश/निर्देश दिये गये हैं :-

1. परिवहन अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 30-01-2008 के कार्यवाही विवरण में बैंक चालान के माध्यम से प्राप्त चालानों का कोषालय से शत-प्रतिशत मिलान किये जाने बाबत कार्यालयीन पत्र क्रमांक-4050, दिनांक 05-02-2008 से समस्त परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किये गये है.

2. परिवहन अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 16-04-2008 में परिवहन आयुक्त द्वारा शासकीय राशि के चालानों का कोषालय से शत-प्रतिशत मिलान करने के निर्देश दिये गये है तथा पालन करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-334, दिनांक 26-04-2008 से समस्त परिवहन अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये है.

3. परिवहन अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 20-05-2009 को परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देशित किये गये है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले चालानों का रिकन्सिलेशन करने तथा चालानों का रिकन्सिलेशन (सत्यापन) होने के पश्चात वाहन स्वामी को न देने व संबंधित शाखा में सीधे दिये जाने बाबत समस्त परिवहन अधिकारियों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक-915, दिनांक 29-05-2009 से प्रेषित किये गये है.

4. बैंक चालानों के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी कर एवं फीस की राशि प्राप्त करने हेतु समीक्षा बैठकों में निर्देश दिये गये हैं.

5. ई-चालान के माध्यम से भी कर एवं फीस का भुगतान करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर एवं दुर्ग को निर्देशित किये गये है तथा कर एवं फीस के रूप में इन कार्यालयों में माह मई-2009 से ई-चालान के माध्यम से भुगतान प्राप्त हो रहा है.

6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने पत्र पृ. क्रमांक-229, दिनांक 24-04-2006 से बैंक चालानों का सत्यापन कार्यालय के मिलान पंजी से करने के पश्चात् उनके समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने बाबत सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक अधीक्षक एवं शाखा लिपिकों को निर्देश दिये गये हैं.

7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा बैंक चालान की एक प्रति तथा उसकी सूची परिवहन कार्यालय के अधिकृत व्यक्ति को चालानों का सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने बाबत वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सीटी कोषालय, रायपुर को पत्र क्रमांक-क्यू, दिनांक 21-10-2005 से लिखा गया है.

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1464) के भाग (क) की जानकारी]

आवेदन दिनांक 12-08-2008

1. आवेदन-पत्र
2. भूमि के खसरा नंबरों की सूची
3. प्रस्तावित निर्माण के क्षेत्रफल की सूची
4. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में भूमि के विकास की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति
5. मानचित्र

आवेदन दिनांक 4-09-2008

1. आवेदन-पत्र
2. छ. ग. शासन, छ. ग. राज्य विद्युत मंडल एवं बाल्को के मध्य 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु दिनांक 7-10-2006 को हुए एम. ओ. यू. की छायाप्रति.
3. छ. ग. शासन, छ. ग. राज्य विद्युत मंडल एवं बाल्को के मध्य 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र हेतु दिनांक 10-09-2006 को हुए इंप्लीमेन्टशन एग्रीमेन्ट की छायाप्रति.
4. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति पत्र की छायाप्रति
5. छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल की अनुमति की छायाप्रति
6. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का चिमनी निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति
7. 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रेल परिवहन हेतु दी गई स्वीकृति की छायाप्रति
8. चिमनी संबंधित मानचित्र.